



कार्यालय



जिला मध्याह्न भोजन योजना, मधेपुरा

कार्यालय आदेश

शुद्धिपत्र

कार्यालय के पत्रांक 193 दिनांक 13.08.2014 के माध्यम से पूर्व में रानी कुमारी सोनी को आवासीय प्रमाण-पत्र में तिथि स्पष्ट नहीं होने के कारण अयोग्य अभ्यर्थी की सूची में डाल दिया गया था। मगर जिलाधिकारी-सह-चयन-सह-अवधि विस्तार समिति के अध्यक्ष द्वारा निदेशित किए जाने एवं प्रमाण-पत्र को जाँचोपरान्त सही पाए जाने के बाद उन्हें योग्य अभ्यर्थी की सूची में डाला जाता है। एवं दक्षता परीक्षा में शामिल करने हेतु सूचित किया जाता है। साथ ही लिपिकीय भूलवश पवन कुमार जो पूर्व में पत्रांक 193 दिनांक 13.08.2014 के द्वारा पिछड़ा वर्ग में शामिल किया गया था को आवेदन के आलोक में उन्हें अत्यंत पिछड़ा वर्ग मानकर शामिल करते हुए उन्हें अत्यंत पिछड़ा वर्ग में शामिल किया जाता है। सूचना कार्यालय पट्ट एवं जिला के वेबसाइट पर डाला जाए।

हो —

जिला प्रभारी पदाधिकारी,
मध्याह्न भोजन योजना, मधेपुरा।

ज्ञापांक 579/ मधेपुरा, दिनांक 21/08/2014

प्रतिलिपि :- NIC, मधेपुरा की सेवा में सादर सूचनार्थ समर्पित। साथ ही आग्रह किया जाता है कि सूची को जिले के Website पर Upload करने की कृपा की जाए।

21/8/14

जिला प्रभारी पदाधिकारी,
मध्याह्न भोजन योजना, मधेपुरा।

हमारा लक्ष्य

100% विद्यालयों में 100% उपस्थित बच्चों, 100% कार्यदिवस में मध्याह्न भोजन संचालन

